संख्याः 971 /XVII(4)/2012/230/2010

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 24 मई, 2012

विषयः **उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग देहरादून का बैंक खाता खोलने की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 70/बा0अधि0संरक्षण/2011–12 दिनांक 29–3–2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सर्वशिक्षा अभियान–आर0टी0ई0 की संशोधित रूपरेखा के अनुसार आर0ई0एम0एस0 मद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत बाल अधिकारों के अनुश्रवण हेतु प्रदत्त धनराशि को उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून को उपलब्ध कराने हेतु आयोग के नाम पर बैंक खाता खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

2– उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बैंक खाता खोले जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– सर्वशिक्षा अभियान के मानकानुसार आर0ई0एस0 मद के अन्तर्गत उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून को उपलब्ध कराई गई धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व नियमावली बनाकर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या 20 (P)/XXVII(3)/2012-13 दिनांक 21 मई, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
सचिव

संख्याः 971 (1)/**XVII(4)/2012**/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।
3. निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

S.O.(MWCD)/Letters Off. 1278